राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1006, 1007, 1008, 1009 व 1010/2015.....जिला.....सिरोही.....

उनवान : मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट, जेकेपुरम, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही बनाम (1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत पाली (2) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

14/07/2015

अपीलार्थी द्वारा ये पाँच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या 16/सिरोही; 17/सिरोही; 18/सिरोही; 19/सिरोही व 20/सिरोही में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के मूल कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 24(6) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के तहत दिनांक 22.05.2014 को पारित किये जाकर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलार्थी द्वारा कर राशि एक माह की अवधि में राजकोष में जमा नहीं करवाये जाने के कारण सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा वेट अधिनियम की धारा 55 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.05.2015 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार ब्याज का आरोपण किया गया। सृजित ब्याज राशि की वसूली के स्थगन हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2015 से अस्वीकार कर दिये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए सृजित ब्याज राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	अवधि	ब्याज	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5
1006/15	16/सिरोही	2005–06 RST	12,24,667	12,24,667
1007/15	17/सिरोही	2005–06 CST	2,49,527	2,49,527
1008/15	18/सिरोही	2007–08 RST	1,03,21,783	1,03,21,783
1009/15	19/सिरोही	2007–08 CST	1,79,841	1,79,841
1010/15	20/सिरोही	2008–09 RST	1,20,08,641	1,20,08,641

14.7.2015

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 1006, 1007, 1008, 1009 व 1010 / 2015.....जिला.....सिरोही.....

उनवान : मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेन्ट, जेकेपुरम, तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही बनाम (1) सहायक आयुक्त, विशेष वृत पाली (2) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14 / 07 / 2015	अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री एम. एल. पाटौदी एवं इशु जैन तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.05.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपीलें क्रमांक 1255 / 2014 से 1265 / 2014 प्रस्तुत की हुई है। उक्त अपीलों के साथ प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना–पत्रों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 24.11.2014 को आदेश पारित करते हुए ब्याज राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किया जा चुका है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर विलम्ब से जमा कराने के आधार पर आरोपित ब्याज की राशि पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर राशि विलम्ब से जमा होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज राशि विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा **आरोपित ब्याज (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 14.7.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 14.07.15 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	